रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227469
CG-DL-E-10062021-227469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943
No. 2024] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

का.आ. 2184(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य एवं ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य 769 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के कश्मीर प्रांत में श्रीनगर, गंडेरबल और अनंतनाग जिलों में स्थित हैं।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो 141.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से युक्त है अधिसूचना सं.एस.आर.ओ: 134 तारीख 10 अप्रैल, 1990 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, ओवेरा अरू वन्यजीव अभयारण्य जो 425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से युक्त है, एस.आर.ओ:154 तारीख 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया एवं थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य जो 203 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से युक्त है, एस.आर.ओ: 158 तारीख 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर शहर से उत्तर-पूर्व में 21 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। उद्यान औसत समुद्र तल से ऊपर 1600 मीटर से 4250 मीटर की ऊंचाई के बीच ग्रेट जानस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और केंद्रीय हिमालयन धुरी के उत्तर पश्चिम उपखंड बनाता है। दाचीगाम हंगुल (कश्मीर लाल हिरण) के अंतिम जीवनक्षम और स्थानिक जनसंख्या के वास के लिए प्रसिद्ध है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में बचा हुआ एकमात्र वास स्थल है। इस उद्यान का ऐसा गौरव है कि इसे देश में सर्वोत्तम प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यान होने का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

और, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर से उत्तर-पूर्व में 21 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अभयारण्य 34°37′ उ अक्षांश और 74°29’ से 74°36’ पू देशांतर के बीच स्थित है और समुद्र तल से ऊपर 3015 मीटर से 5466 मीटर की तुंगीय श्रेणी कवर करता है। इसमें सिंध वन संभाग के वन कम्पार्टमेंट सं.56/एस से 62/एस तक शामिल हैं। कश्मीर कस्तूरी मृग (मोस्यूस कूपरेयूस) और हिमालयन ब्राऊन भालू (अरसस अर्कटोस) इस क्षेत्र के आकर्षक मुख्य जीवजंतु है। अभयारण्य अन्य महत्त्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों जैसे अरू, ऊपरी दाचीगाम और सिंध वन के साथ जुड़ा हुआ है। वन्यजीव अभयारण्य ‘सोनमार्ग’ की बड़ी-बड़ी बर्फीली चोटियों और सिंध नदी से घिरा हुआ है, जो कि इसकी ट्राउट और महसीर जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। थजवास ग्लेशियर पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्रों में से एक है, जिसमें पर्यटक ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन आते हैं।

और, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व से 76 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यह 33°55'0"उ से 34°20'0" उ अक्षांश और 75°5'0" पू से 75°32'30" पू देशांतर के बीच स्थित है और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिला के अंतर्गत आता है। ओवेरा-अरू अभयारण्य के वन अनेक झीलों और ग्लेशियरों से समृद्ध है, जो कि जल का बहुमूल्य स्रोत है, यह जल कई धाराओं को पुष्ट करता है जो धाराएं परिधि के निकट स्थित ग्रामों के नीचे की ओर बहती है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान रॉजर्स ईटी एल., 2002 द्वारा सूचित जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के 2ए प्रांत के अंतर्गत आता है। परिशोधित चैम्पियन और सेठ (1968) के अनुसार दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति विशिष्ट रूप से हिमालयन आर्द्र समशीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन वन और अल्पाइन वन प्रकार है और आर्द्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्रोटिया (पोहू) झाड़ी वन, पश्चिम हिमालयन निचला स्तर ब्लू पाइन वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, पर्णपाती अल्पाइन झाड़ी, पश्चिम हिमालयन उप-अल्पाइन ब्रीच-रहोडोडेनड्रोन वन, ड्वॉर्फ जूनीपर झाड़ी, शुष्क समशीतोष्ण झाड़ी वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के कुछ विशिष्ट वनस्पति और जीवजंतु है जिसमें *उल्मस वाल्लिचिअना, सैलिक्स अल्बा, पोपुलुस स्पा., प्रूनस आर्मेनिया, क्यूरकस रोबर, रोबिना प्सेउडोअकेशिया, पेर्रोटीओपसिस जेकाइमोंटिअना, रोसा वेब्बिअना, रूबस निवेउस, ऐस्कुलुस इंडिका, जगलांस रेगिया, पाइनस ग्रिफ्फिथी*, एंगारडा (*लयचनिस्कोर्नारिया* (एल.) डीसर)., बाजारदांतु (*पोटेंटिल्ला अट्रोसांगुइंनालोड्ड.), तरूम्बादु* (*पिक्रिशियरकीओइड्स), घुड़खुरा* (*तुस्सिलागो फार्फेरा),*

डोडड (कोडोनोप्सिस ओवेटे), रत्नजोत (ओनोसमाहिस्पिडम वल्लीचेक्स), कश्मीर रेड हिरन (केरवुस हंग्लुहांगलु.), कश्मीर कस्तूरी हिरन (*मोस्चुस कुपरेउस*), सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसुस अरक्टोस इसाबेल्लिनुस*), एशियाई ब्लैक भालू (*उरसुस थिअटानुस*), कश्मीर ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*), हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध (*जिप्स हिमालयेंसिस*), बिग्रडिड गिद्ध (*गयपेटस बारबेटस*), कश्मीर फ्लाईकैचर *(फिकेडुला सुबरूबरा),* आदि शामिल है।

और, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र सालभर, अधिकतर मोटी बर्फ से कवर रहता है। वृक्ष प्रजातियां जैसे एबिइस पिंड्रो, *बेतुला उलटिलिस, जगलांस रेगिया और पिकेया स्पा.* वृक्ष वनस्पति को संघटित करता है। क्षेत्र *इंडीगोफेरा हेतरांथ, बेरबेरिइस लयकिकम, और रोसा वेब्बिअना जैसी मुख्य झाड़ियों से घिरा हुआ है।* क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण जीवजंतु प्रजातियां ग्रे लंगूर (*प्रस्बटीस इंटेल्लुस)*, रहेसुस मकाक (*मकाका मुलाट्टा)*, सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), स्नो तेदुआ *(पेन्थेरा यूनिका)*, तेंदुआ बिल्ली *(फेलिस बेन्गालेंसिस)*, सियार (*कैनिस ऑरियस*), रेड लोमड़ी (*वुल्पेस वुल्पेस)*, हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसूस अरक्टोस)*, एशियाटिक ब्लैक भालू (*उरसूस थिबेटानुस)*, येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (*मारटीस फ्लाविगुला)*, लॉग-टेल्ड मर्मोट (*मन्नोटा बोबक*), रोलेस पिका (*ओचोटोना रोयलेइ)*, एशियाई इबेक्स (*कपरा सिबरीका)*, कश्मीर मुस्क हिरन *(मोस्चुस कुपरेउस) आदि हैं।*

और, ऊंचाई, आकृति और मृदा में भिन्नता के कारण, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य में प्रत्यक्ष वनस्पति की विविधता है। अभयारण्य की वनस्पति मुख्यत: नालों के निकट निचला ऊंचे स्थान में कैल (पाइनस *ग्रिफ्फिथी*) के साथ फर (एबीस् पीड्राव) है। भौतिक विविधताओं पर वन प्रकार तटीय वनस्पति (औसत समुद्र तल से ऊपर 1600-2300 मीटर), शंकुधारी वन: (औसत समुद्र तल से ऊपर 2300-3000 मीटर), अल्पाइन झाड़ी और चरागाह (औसत समुद्र तल से ऊपर 3000-3500 मीटर के परे), रॉक फेस: (औसत समुद्र तल से ऊपर 3500 मीटर के परे) पाए जाते हैं। ओवेरा-अरू वन ग्रेट औषधीय मूल्य की कई पौधे की प्रजातियों के साथ समृद्ध है। क्षेत्र में उगने वाले वन में कुछ औषधीय पौधें हैं जिसमें अकोनितम हेटेरोफयल्लुम, *अरनेबिया बेंथामि, अरटेमिसिया अबसिंथियम, बेरबेरिस* लीसियम, *बेरगेनिया लिंगुलाटा, डातुरा स्तरामोनियम, डोओस्कोर अडेलटोआईडिया, लवातेरा कासमेरिअना, सौस्सुरेया कोस्तुस और ताक्यस वाल्लिचिना* शामिल हैं।

और, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य रॉजर्स और पनवार (1998) **के द्वारा किए गए जैव-भौगोलिक सीमांकन के अनुसार हिमालयन जोन के उत्तर-पश्चिम प्रांत (प्रांत 2ए) के अंतर्गत आता है। इस प्रांत में संपूर्ण कश्मीर घाटी सम्मिलित है, समशीतोष्ण और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु** कश्मीरी स्टैग एवं **हंगुल** (*केरवुस हंगलु हंगलु)*, कश्मीर मस्क हिरन (*मोस्चुस कुपरेउस)*, हिमालयन ब्लैक भालू *(उरसूस थिबेटानुस)*, हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसुस अरक्टोस*), सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), हिमालयन ग्रे लंगूर (*प्रेस्बटीस अजाक्स)*, रीसस मकाक (*मकाका मुलाट्टा)*, रेड लोमड़ी (*वुल्पेस वुल्पेस)*, ब्राउन मुस्क श्रेव (*करोकिडुरा मुरीना)*, येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (*मारटेस फ्लाविगुला)*, लॉग-टेल्ड मर्मोट *(मारमोट हिमालियना)*, कश्मीर वेमपॉयर(*मेरगाडेर्मा स्पेकटरूम)*, लेइसलेर हेयरी–अरमेड बेट *(निकतालुस लेस्सलेरी)*, कश्मीर हाउस रेट (*रट्टुस रट्टुस)*, बिरच माउस (*सिक्इस्टा इंडिका)*, कश्मीर फ्लाई गिलहरी (*इओगलाउकोमयस फिम्बरिअतुस)*, सेरोव (*कापरिकोरनिस सुमात्रेनिस)*, रोयले पिका (*ओचोटोना रोयेली)*, *हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध* (*जिप्स हिमालयेंसिस*), बियरडिड गिद्ध (*गयपैतुस बारबेतुस*), कश्मीर फ्लाईकैचर (*फिकेडुला सुबरूबरा*) आदि द्वारा विशिष्ट है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और थजवास वन्यजीव (बालटाल) अभयारण्य की प्राकृतिक सीमाएं भू-दृश्य स्तर में जुड़ती है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है जबकि ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर थजवास वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है। संरक्षित क्षेत्र समृद्ध जैव-विविधता और पशुओं, पक्षियों और वनस्पति की

कुछ महत्त्वपूर्ण/ स्थानिक प्रजातियों की अच्छी जनसंख्या का भू-दृश्य बनाता है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन इन क्षेत्रों को एक इकाई बनाता है और इन क्षेत्रों में जैव- विविधता को पनपने के लिए जीन धारा प्रवाह करने में उपयोगी है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 9.90 किलोमीटर तक विस्तारित, क्षेत्र को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 137.75 वर्ग किलोमीटर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 9.90 किलोमीटर तक विस्तृत है जैसा कि *पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पहलगाम और तूनवान कैम्प के महत्त्वपूर्ण पर्यटन गंतब्य स्थान, प्रसिद्ध वार्षिक तीर्थयात्रा अमरनाथ यात्रा के बेस कैम्प के साथ होते हुए जाती है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भाग की ओर है। इसके अतिरिक्त, पहलगाम क्षेत्र पर्यटन बुनियादी विकास के लिए उच्च आवश्यकता के अंतर्गत है और पहलगांव विकास प्राधिकरण के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप में विकास अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित है। क्षेत्र बड़ी जनसंख्या का वासस्थल है और इसमें बुनियादी संरचना भी है।*

विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	**विस्तार (किलोमीटर में)**	**अवस्थान**
उत्तर	0.25	सिंध नाला
उत्तर पूर्व	1	बालटाल
पूर्व	1	शेषनाग
दक्षिण पूर्व	1	बरारीपत्थर
दक्षिण	0	ओवेरा
दक्षिण पश्चिम	9.9	वाहाबखर
पश्चिम	7.5	करन महल
उत्तर पश्चिम	1	सोममस
ए	1	ए) बथयन
बी	1.5	बी) नगंदर
सी	3.3	सी) जानातरग
डी	4.95	डी) पखीरिन

(2) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक–IIक, अनुलग्नक–IIख, अनुलग्नक –IIग और अनुलग्नक–IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक– IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) केंद्र शासित प्रदेश सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की

आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन केंद्र शासित प्रदेश विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और केंद्र शासित प्रदेश

सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि,	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान

	आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु, गुब्बारें आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और

		विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) केन्द्र शासित सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित केन्द्र शासित प्रदेश के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के

	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे।
25.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	विनियमित एवं सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	प्रवासी चरवाहा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	नए होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
1.	संभागीय आयुक्त, कश्मीर	अध्यक्ष;
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	जम्म-कश्मीर सरकार द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य;

6.	उपायुक्त, गंदरबल	सदस्य;
7.	उपायुक्त,अंनतनाग	सदस्य;
8.	उपायुक्त, पुलवामा	सदस्य;
9.	उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य;
10.	निर्देशक पर्यटन, कश्मीर	सदस्य;
11.	उपाध्यक्ष, श्रीनगर विकास प्राधिकरण	सदस्य;
12.	क्षेत्रीय निर्देशक, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	सदस्य;
13.	वरिष्ठ नगर नियोजक, कश्मीर	सदस्य;
14.	संभागीय वन अधिकारी, सिंध वन संभाग	सदस्य;
15.	संभागीय वन अधिकारी, लिड्डेर वन संभाग	सदस्य;
16.	संभागीय वन अधिकारी, अवंतीपुरा	सदस्य;
17.	संभागीय वन अधिकारी, शहरी वानिकी श्रीनगर	सदस्य;
18.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनमर्ग विकास प्राधिकरण	सदस्य;
19.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पहलगाम विकास प्राधिकरण	सदस्य;
20.	वन्यजीव वार्डन, केन्द्रीय संभाग	सदस्य;
21.	वन्यजीव वार्डन, दक्षिण संभाग	सदस्य;
22.	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, कश्मीर	सदस्य-सचिव

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर केन्द्र शासित सरकार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **अनुलग्नक V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/19/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I

केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र.सं.	मानचित्र पर चिन्हित बिंदु	देशांतर	अक्षांश	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से (मीटर) से दूरी	विवरण	औचित्य
1	ए50	75° 16' 8.283" पू	34° 18' 39.590" उ	50	सिंध नदी	
2	ए51	75° 16' 46.896" पू	34° 18' 21.339" उ	1000	थजवास खुला राजस्व भूमि	
3	ए52	75° 19' 19.800" पू	34° 17' 44.505" उ	50	इचामार्ग	
4	ए53	75° 21' 38.536" पू	34° 16' 19.145" उ	50	सेरबल ग्राम, सिंध नदी	
5	ए54	75° 25' 2.957" पू	34° 14' 1.062" उ	50	डोमेल वन, सिंध नदी	
6	ए57	75° 32' 56.026" पू	34° 8' 59.234" उ	50	नीछांग, अल्पाइन चरागाह	
7	ए58	75° 33' 4.452" पू	34° 6' 46.073" उ	1000	अल्पाइन चरागाह	
8	ए59	75° 31' 58.324" पू	34° 5' 25.254" उ	1000	गुदी गली, अल्पाइन	

					चरागाह	
9	ए60	75° 30' 2.620" पू	34° 6' 57.756" उ	1000	वाहाबल टॉप, अल्पाइन चरागाह	
10	ए62	75° 27' 0.738" पू	34° 8' 45.686" उ	1000	छूट पास, अल्पाइन चरागाह	
11	ए65	75° 23' 51.681" पू	34° 7' 20.121" उ	1000	राजदान नार, अल्पाइन चरागाह	
12	ए47	75° 14' 57.887" पू	34° 15' 28.761" उ	1000	गंज वन, सिंध नदी	
13	ए49	75° 15' 27.980" पू	34° 17' 43.399" उ	50	सिंध नदी	
14	ए48	75° 14' 0.162" पू	34° 16' 52.517" उ	1000	को 53/एस, अल्पाइन चरागाह	
15	ए46	75° 15' 0.579" पू	34° 15' 15.824" उ	1000	को 53/एस, अल्पाइन चरागाह	
16	ए45	75° 13' 44.791" पू	34° 14' 36.938" उ	1000	को 53/एस, अल्पाइन चरागाह	
17	ए44	75° 12' 42.317" पू	34° 14' 17.449" उ	1000	को 53/एस, अल्पाइन चरागाह	
18	ए43	75° 11' 39.926" पू	34° 13' 34.687" उ	1000	को 49/एस, अल्पाइन चरागाह	
19	ए42	75° 10' 45.063" पू	34° 12' 35.890" उ	1000	को 45/एस, अल्पाइन चरागाह	
20	ए41	75° 9' 52.727" पू	34° 12' 45.375" उ	1000	को 44/एस, अल्पाइन चरागाह	
21	ए40	75° 8' 33.037" पू	34° 12' 30.866" उ	1000	को 41/एस, अल्पाइन चरागाह	
22	ए39	75° 7' 28.585" पू	34° 12' 16.430" उ	1000	को 39/एस, अल्पाइन चरागाह	
23	ए38	75° 7' 36.922" पू	34° 10' 53.455" उ	1000	को 34/एमबीएल, अल्पाइन	

					चरागाह	
24	ए37	75° 5' 29.651" पू	34° 9' 43.646" उ	1000	होका सर, अल्पाइन चरागाह	
25	ए36	75° 3' 12.504" पू	34° 11' 25.097" उ	1000	सूरा फाराव वन, सिंध	
26	ए35	75° 0' 34.233" पू	34° 11' 28.442" उ	1000	लीदवस, अल्पाइन चरागाह	
27	ए34	74° 59' 38.049" पू	34° 10' 18.195" उ	1000	लीदवस, अल्पाइन चरागाह	
28	ए79	75° 3' 18.035" पू	34° 4' 56.242" उ	500	अंदरहजन नार, वन क्षेत्र, हजन्नर	
29	ए78	75° 5' 52.795" पू	34° 4' 16.200" उ	1000	को 22/तरल वन क्षेत्र, पम्बच खोद	
30	ए77	75° 11' 46.294" पू	34° 3' 30.857" उ	1000	को 13/तरल वन क्षेत्र	
31	ए76	75° 13' 5.262" पू	34° 1' 34.853" उ	1000	को 24/ वन क्षेत्र	
32	ए75	75° 12' 37.170" पू	33° 58' 49.146" उ	1000	को 3 वन क्षेत्र, वटवगर	
33	ए74	75° 14' 14.892" पू	33° 55' 58.452" उ	1000	को 51/एल वन क्षेत्र	
34	ए73	75° 15' 30.813" पू	33° 55' 55.489" उ	0	को 50/एल, ओवूर ग्राम	ओवरा ग्राम बस्तियों को अलग करने की सीमांकन रेखा
35	ए72	75° 17' 10.532" पू	33° 56' 32.440" उ	0	को 45/एल, पर्यटन केंद्र का विकास	पहले से ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया और बाड़ के साथ कवर है।
36	ए71	75° 17' 31.151" पू	33° 57' 35.646" उ	0	खेलन वन	बाड़ के साथ कवर ग्राम बस्तियों को अलग

						करने की सीमांकन रेखा
37	ए70	75° 19' 0.106" पू	33° 59' 24.096" उ	0	ममल वन, पहलगाम का विकास	पहले से ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया और बाड़ के साथ कवर है।
38	ए69	75° 18' 51.004" पू	34° 0' 32.169" उ	0	ममल ग्राम	ममल की ग्राम बस्तियों को अलग करने की सीमांकन रेखा
39	ए68	75° 18' 0.230" पू	34° 2' 26.202" उ	0	वचरन, लीडडेर नाला	लीड्डर नाला घाटी को अलग करती है।
40	ए67	75° 19' 52.326" पू	34° 4' 47.318" उ	1000	को 19/एल, वन क्षेत्र, संगम	
41	ए66	75° 22' 12.778" पू	34° 6' 27.186" उ	1000	को 16, अल्पाइन चरागाह, सरनर	
42	ए64	75° 24' 34.558" पू	34° 7' 48.950" उ	1000	को 12/एल, अल्पाइन चरागाह	
43	ए63	75° 25' 2.139" पू	34° 8' 42.470" उ	1000	राबे मार्ग, अल्पाइन चरागाह	
44	ए61	75° 27' 55.499" पू	34° 7' 26.880" उ	1000	अस्तन, अल्पाइन चरागाह	
45	ए55	75° 28' 5.746" पू	34° 12' 32.350" उ	50	नगीन पत्थर	
46	ए 56	75° 30' 4.375" पू	34° 11' 18.399" उ	50	पंजतरनी, अमरनाथ गुफा की ओर रास्ता	
47	ए33	74° 56' 42.915" पू	34° 10' 57.894" उ	1000	दारा नाला, दारावन, वन	
48	ए32	74° 56' 3.905" पू	34° 11' 20.590" उ	1000	तुलापत्थर नाला, खुला वन	

49	ए31	74° 55' 24.996" पू	34° 10' 43.726" उ	200	चाक-आई-दारा ग्राम	
50	ए30	74° 54' 28.109" पू	34° 10' 30.176" उ	200	मुरीन्दर बाग ग्राम, जल निकाय	
51	ए29/1	74° 55' 16.730" पू	34° 10' 15.073" उ	200	कृषि भूमि, नूथीड ग्राम	
52	ए29	74° 55' 47.637" पू	34° 9' 21.851" उ	200	महादेव नार, कृषि भूमि	
53	ए28	74° 55' 11.105" पू	34° 9' 20.101" उ	200	मावसकोल	
54	ए27	74° 54' 20.173" पू	34° 9' 38.496" उ	200	पी डब्ल्यू डी जल टैंक एवं जलाशय	
55	ए55	74° 53' 19.039" पू	34° 7' 50.947" उ	500	बारोबल, चट्टानी क्षेत्र	
56	ए56	74° 54' 37.277" पू	34° 5' 49.986" उ	500	सुमेर नार, चट्टानी	
57	ए57	74° 51' 20.334" पू	34° 4' 33.714" उ	500	गोप्बल नार, मिश्रित वन, सैंट बाबा गुलाम्दीनशाह	
58	ए58	74° 56' 6.516" पू	34° 4' 26.605" उ	500	खुली झाड़ी	
59	ए59	74° 58' 57.542" पू	34° 5' 8.609" उ	1000	सांगरी, मिश्रित वन	
60	ए60	74° 59' 4.141" पू	34° 5' 44.018" उ	500	पहल चाक, वन क्षेत्र, दून एन	
61	ए61	74° 58' 55.146" पू	34° 2' 45.453" उ	500	बाथयन, वन क्षेत्र	
62	ए62	75° 1' 25.038" पू	34° 4' 34.850" उ	500	सरदालौनर, वन क्षेत्र	
63	ए63	75° 3' 28.841" पू	33° 59' 36.914" उ	1000	को 24/तरल वन क्षेत्र, सराय बून	

अनुलग्नक -II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थतिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

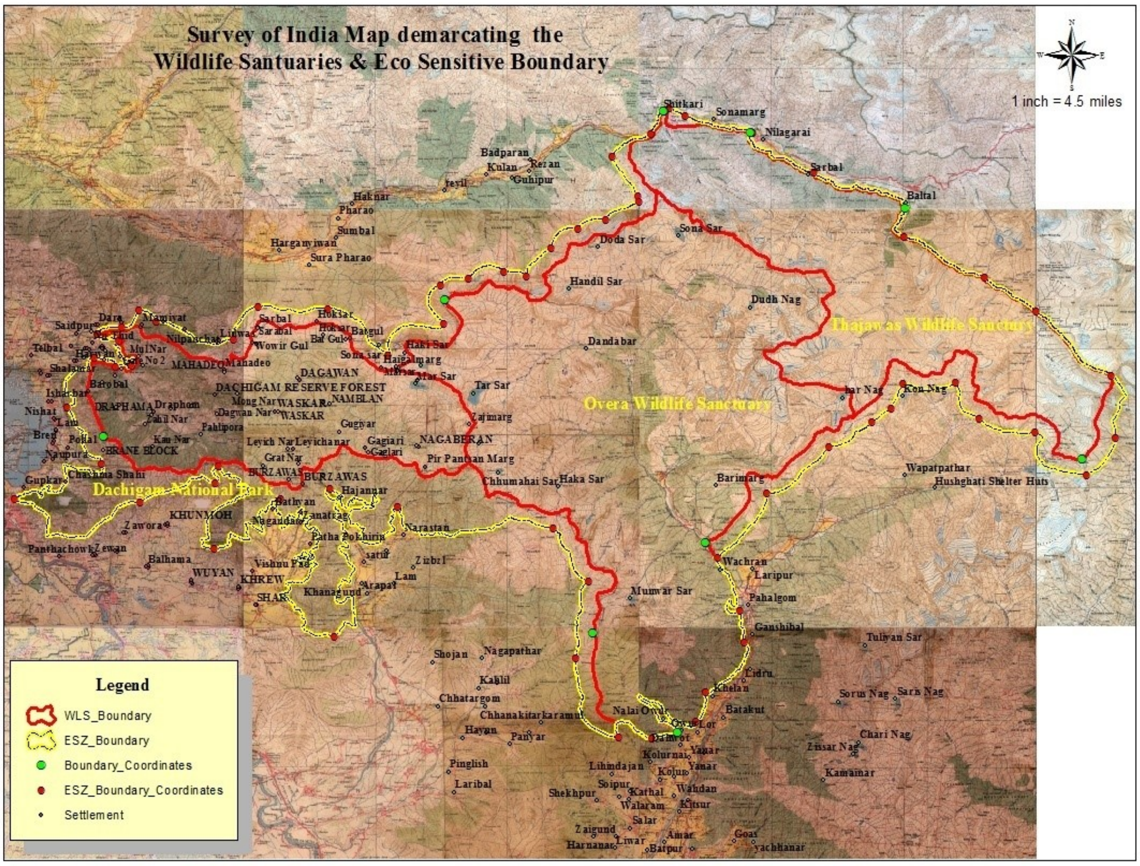

अनुलग्नक -II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थतिकी संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला सैटेलाइट मानचित्र

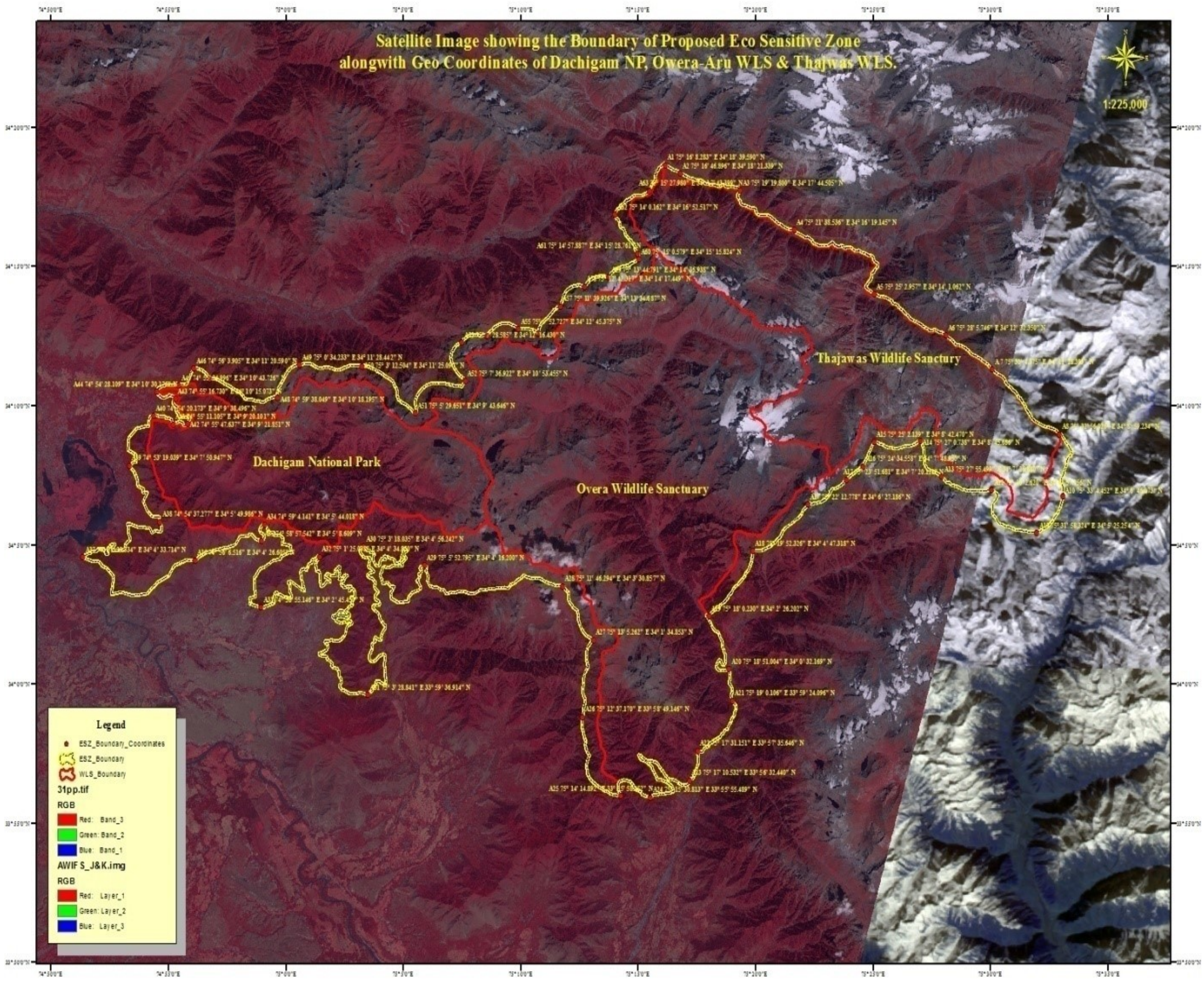

अनुलग्नक -II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थतिकी संवेदी जोन का मानचित्र

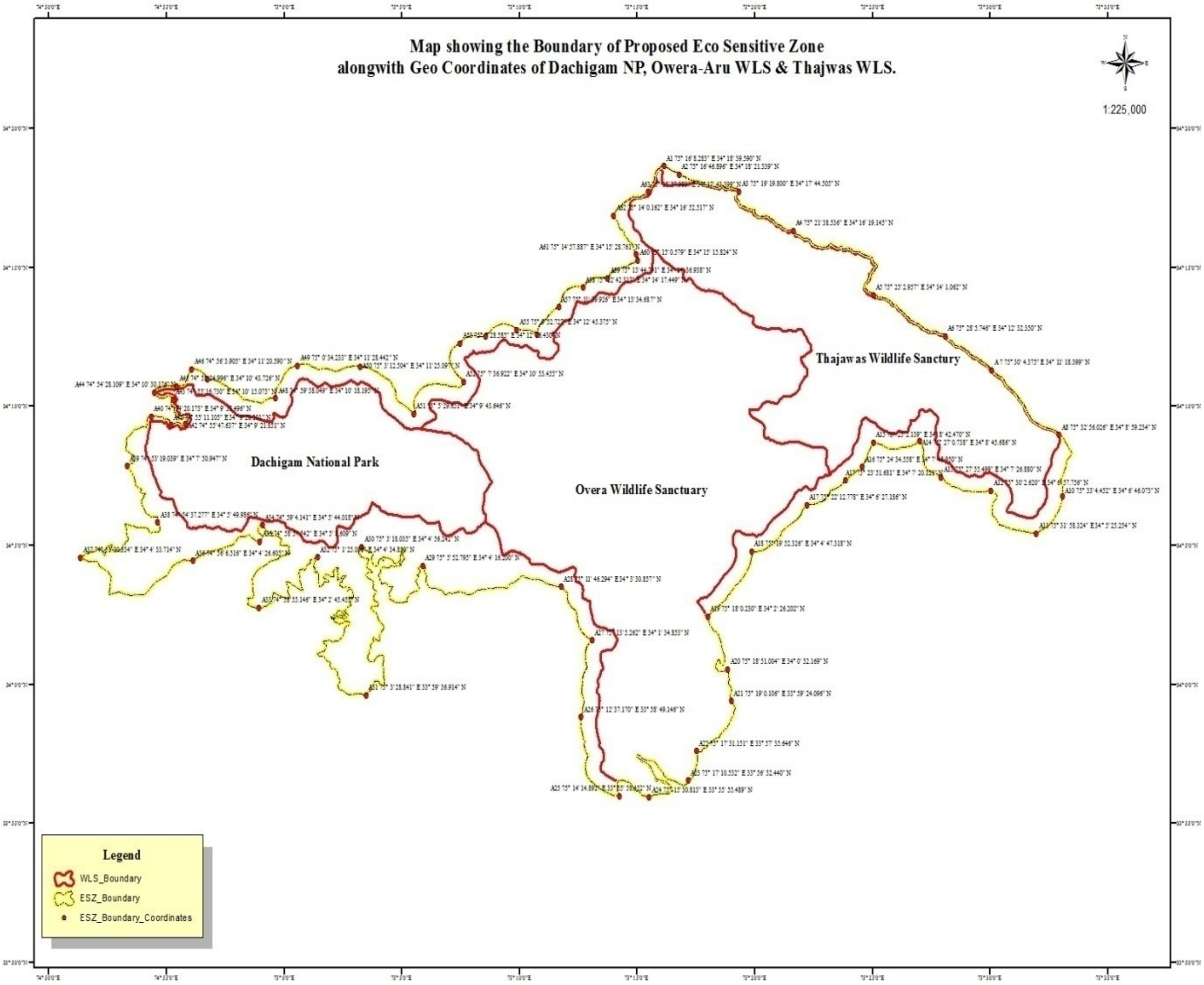

अनुलग्नक -II घ

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थतिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र

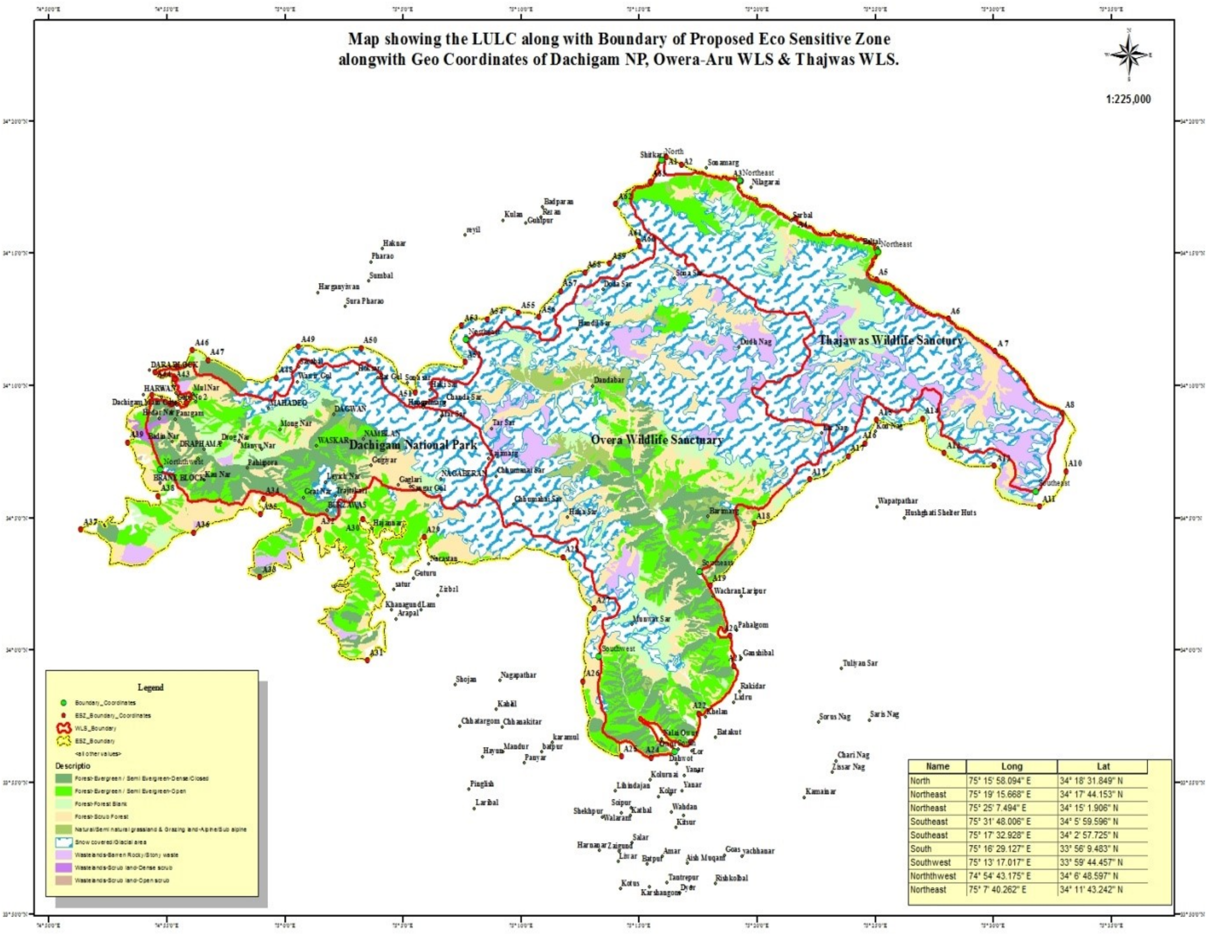

अनुलग्नक -III

क. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं.	नाम	देशांतर	अक्षांश
1	उत्तर	75° 15' 58.094" पू	34° 18' 31.849" उ
2	उत्तर-पूर्व	75° 19' 15.668" पू	34° 17' 44.153" उ
3	उत्तर-पूर्व	75° 25' 7.494" पू	34° 15' 1.906" उ
4	दक्षिण-पूर्व	75° 31' 48.006" पू	34° 5' 59.596" उ
5	दक्षिण-पूर्व	75° 17' 32.928" पू	34° 2' 57.725" उ
6	दक्षिण	75° 16' 29.127" पू	33° 56' 9.483" उ
7	दक्षिण-पश्चिम	75° 13' 17.017" पू	33° 59' 44.457" उ
8	उत्तर-पश्चिम	74° 54' 43.175" पू	34° 6' 48.597" उ
9	उत्तर-पूर्व	75° 7' 40.262" पू	34° 11' 43.242" उ

ख. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमाओं के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं	देशांतर	अक्षांश	संरक्षित क्षेत्र (मीटर) से दूरी	विवरण
1	75° 16' 8.283" पू	34° 18' 39.590" उ	50	सिंध नदी
2	75° 16' 46.896" पू	34° 18' 21.339" उ	1000	थजवास खुला राजस्व भूमि
3	75° 19' 19.800" पू	34° 17' 44.505" उ	50	इचामार्ग
4	75° 21' 38.536" पू	34° 16' 19.145" उ	50	सेरबल ग्राम, सिंध नदी
5	75° 25' 2.957" पू	34° 14' 1.062" उ	50	डोमेल वन, सिंध नदी
6	75° 32' 56.026" पू	34° 8' 59.234" उ	50	निछांग, अल्पाइन चरागाह
7	75° 33' 4.452" पू	34° 6' 46.073" उ	1000	अल्पाइन चरागाह
8	75° 31' 58.324" पू	34° 5' 25.254" उ	1000	गुइडी गली, अल्पाइन चरागाह
9	75° 30' 2.620" पू	34° 6' 57.756" उ	1000	वाहाबल टॉप, अल्पाइन चरागाह
10	75° 27' 0.738" पू	34° 8' 45.686" उ	1000	छुट पास, अल्पाइन चरागाह
11	75° 23' 51.681" पू	34° 7' 20.121" उ	1000	राजदान नार, अल्पाइन चरागाह
12	75° 14' 57.887" पू	34° 15' 28.761" उ	1000	गंज वन, सिंध प्रभाग
13	75° 15' 27.980" पू	34° 17' 43.399" उ	50	सिंध नदी
14	75° 14' 0.162" पू	34° 16' 52.517" उ	1000	को 53/एस, अल्पाइन चरागाह
15	75° 15' 0.579" पू	34° 15' 15.824" उ	1000	को 53/ एस, अल्पाइन चरागाह
16	75° 13' 44.791" पू	34° 14' 36.938" उ	1000	को 53/ एस, अल्पाइन चरागाह
17	75° 12' 42.317" पू	34° 14' 17.449" उ	1000	को 53/ एस, अल्पाइन चरागाह
18	75° 11' 39.926" पू	34° 13' 34.687" उ	1000	को 49/ एस, अल्पाइन चरागाह
19	75° 10' 45.063" पू	34° 12' 35.890" उ	1000	को 45/ एस, अल्पाइन चरागाह
20	75° 9' 52.727" पू	34° 12' 45.375" उ	1000	को 44/ एस, अल्पाइन चरागाह
21	75° 8' 33.037" पू	34° 12' 30.866" उ	1000	को 41/ एस, अल्पाइन चरागाह
22	75° 7' 28.585" पू	34° 12' 16.430" उ	1000	को 39/ एस, अल्पाइन चरागाह
23	75° 7' 36.922" पू	34° 10' 53.455" उ	1000	को 34/एमबीएल, अल्पाइन चरागाह
24	75° 5' 29.651" पू	34° 9' 43.646" उ	1000	होका सार, अल्पाइन चरागाह
25	75° 3' 12.504" पू	34° 11' 25.097" उ	1000	सुराफराओ वन, सिंध
26	75° 0' 34.233" पू	34° 11' 28.442" उ	1000	लिदवास, अल्पाइन चरागाह
27	74° 59' 38.049" पू	34° 10' 18.195" उ	1000	लिदवास, अल्पाइन चरागाह
28	75° 3' 18.035" पू	34° 4' 56.242" उ	500	अंदरहजन नार, वन क्षेत्र, हजन्नर
29	75° 5' 52.795" पू	34° 4' 16.200" उ	1000	को 22/तरल वन क्षेत्र, पम्बच खोद
30	75° 11' 46.294" पू	34° 3' 30.857" उ	1000	को 13/तरल वन क्षेत्र
31	75° 13' 5.262" पू	34° 1' 34.853" उ	1000	को 24/वन क्षेत्र

32	75° 12' 37.170" पू	33° 58' 49.146" उ	1000	को 3 वन क्षेत्र, वटवगर
33	75° 14' 14.892" पू	33° 55' 58.452" उ	1000	को 51/एल वन क्षेत्र
34	75° 15' 30.813" पू	33° 55' 55.489" उ	0	को 50/एल, ओवूर ग्राम
35	75° 17' 10.532" पू	33° 56' 32.440" उ	0	को 45/एल, पर्यटन केंद्र का विकास
36	75° 17' 31.151" पू	33° 57' 35.646" उ	0	खेलान वन
37	75° 19' 0.106" पू	33° 59' 24.096" उ	0	ममल वन, पहलगाम का विकास
38	75° 18' 51.004" पू	34° 0' 32.169" उ	0	ममल ग्राम
39	75° 18' 0.230" पू	34° 2' 26.202" उ	0	वचरन, लीडडेर नाला
40	75° 19' 52.326" पू	34° 4' 47.318" उ	1000	को 19/एल, वन क्षेत्र,संगम
41	75° 22' 12.778" पू	34° 6' 27.186" उ	1000	को 16, अल्पाइन चरागाह, सरनर
42	75° 24' 34.558" पू	34° 7' 48.950" उ	1000	को 12/एल, अल्पाइन चरागाह
43	75° 25' 2.139" पू	34° 8' 42.470" उ	1000	राबेमार्ग, अल्पाइन चरागाह
44	75° 27' 55.499" पू	34° 7' 26.880" उ	1000	अस्तानमार्ग, अल्पाइन चरागाह
45	75° 28' 5.746" पू	34° 12' 32.350" उ	50	नागिनपत्थर
46	75° 30' 4.375" पू	34° 11' 18.399" उ	50	पंजतरनी, अमरनाथ गुफा की ओर रास्ता
47	74° 56' 42.915" पू	34° 10' 57.894" उ	1000	दारा नाला, दारावन, वन
48	74° 56' 3.905" पू	34° 11' 20.590" उ	1000	तुलापत्थरनाला, खुलावन
49	74° 55' 24.996" पू	34° 10' 43.726" उ	200	चाक-आई-दारा ग्राम
50	74° 54' 28.109" पू	34° 10' 30.176" उ	200	मुरीनदेरबाग ग्राम, जल निकाय
51	74° 55' 16.730" पू	34° 10' 15.073" उ	200	कृषि भूमि, नूथिड ग्राम
52	74° 55' 47.637" पू	34° 9' 21.851" उ	200	महादेव नार, कृषि भूमि
53	74° 55' 11.105" पू	34° 9' 20.101" उ	200	मवासकोल
54	74° 54' 20.173" पू	34° 9' 38.496" उ	200	पीडब्ल्यूडी जल टैंक एवं जलाशय
55	74° 53' 19.039" पू	34° 7' 50.947" उ	500	बारोबल, चट्टानी क्षेत्र
56	74° 54' 37.277" पू	34° 5' 49.986" उ	500	सुमेर नार, चट्टानी
57	74° 51' 20.334" पू	34° 4' 33.714" उ	500	गोपबाल नार, मिश्रित वन, सैंट बाबा गुलाम्दीनसाह
58	74° 56' 6.516" पू	34° 4' 26.605" उ	500	खुली झाड़ी
59	74° 58' 57.542" पू	34° 5' 8.609" उ	1000	संगरी,मिश्रित वन
60	74° 59' 4.141" पू	34° 5' 44.018" उ	500	पहल चाक, वन क्षेत्र, दून एन
61	74° 58' 55.146" पू	34° 2' 45.453" उ	500	बथयान, वन क्षेत्र
62	75° 1' 25.038" पू	34° 4' 34.850" उ	500	सरदालौनर, वन क्षेत्र
63	75° 3' 28.841" पू	33° 59' 36.914" उ	1000	को 24/तरल वन क्षेत्र, सराई बून

अनुलग्नक -IV

भू-निर्देशांकों के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम की सूची

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्राम/नगरी:

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर		-	-
उत्तर-पश्चिम	मन्नाथ	34° 10' 46.41" उ	74° 56' 10.36" पू
	दारा	34° 10' 58.48" उ	74° 54' 27.36" पू
	फकीर गुज्जारी	34° 11' 54.55" उ	74° 54' 53.87" पू
	मुलनार	34° 9' 45.42" उ	74° 54' 2.18" पू
पश्चिम	हरवान	34° 9' 31.7" उ	74° 53' 41.81" पू
	इसहबार	34° 8' 4.38" उ	74° 52' 47.33" पू
	पोहल	34° 6' 24.67" उ	74° 53' 23.31" पू
	लाम	34° 7' 0.65" उ	74° 53' 1.38" पू
दक्षिण	संगरी	34° 5' 52.46" उ	74° 58' 49.51" पू
	चेक	34° 5' 0.38" उ	75° 0' 12.08" पू
	बैथिन	34° 4' 13.27" उ	74° 01' 5.79" पू
	नगिंदेर	34° 04' 11.972" उ	75° 02' 16.717" पू
	जनातरग	34° 03' 54.355" उ	75° 02' 35.909" पू
दक्षिण-पूर्व	अरीपाल	34° 0' 59.80" उ	74° 04' 22.20" पू
	हजीनार	34° 04' 37.87" उ	75° 03' 43.49" पू
	नारीस्तान	34° 4' 21.13" उ	74° 0' 22.28" पू
पूर्व	शून्य	-	-

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर		-	-
उत्तर-पश्चिम		-	-
पश्चिम		-	-
दक्षिण	ओवेरा	33° 56' 9.483" उ	75° 16' 29.127" पू
	दारवोन	34° 18' 15.91" उ	75° 13' 01.67" पू

दक्षिण-पूर्व		-	-
पूर्व		-	-

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर		-	-
उत्तर -पश्चिम	सरबल	उ 34⁰ 10'59.14"	पू 75⁰ 00'42.77"
	सोनमर्ग	उ 34⁰ 18'15.91"	पू 75⁰ 17'59.45"
पश्चिम	शुटकारी	उ 34⁰ 18'31.85"	पू 75⁰ 15'39.61"
दक्षिण		-	-
दक्षिण-पूर्व		-	-
पूर्व		-	-

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

S.O.2184(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary & Overa-Aru Wildlife Sanctuary is spread over the total area of 769 square kilometres located in the Srinagar, Ganderbal and Anantnag Districts in Kashmir province of Union Territory of Jammu and Kashmir.

AND WHEREAS, the Dachigam National Park comprising an area of 141.00 square kilometres has been notified as National Park vide notification no. S.R.O:134 dated 10thApril, 1990., The Overa Aru Wildlife Sanctuary comprising an area of 425 square kilometres has been notified as Wildlife Sanctuary vide S.R.O: 154 dated 19th March 1987 & Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary comprising an area of 203 Square kilometres has been notified as Wildlife Sanctuary notified vide S.R.O: 158 dated 19th March 1987.

AND WHEREAS, the Dachigam National Park is located at a distance of 21 kilometre North-East from Srinagar city. The park lies in the great Zanskar mountain range between an altitude of 1600 metres to 4250 meters above mean sea level and forms the North-West branch of the Central Himalayan axis. The Dachigam is famous for harbouring the last viable and endemic population of Hangul (Kashmir red deer), the only abode left in South-East Asia. The park has the prestige to be the recipient of the award for the best managed National Park in the country.

AND WHEREAS, the Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary is located at a distance of 21 kilometer North-East from Srinagar. The sanctuary lies between 34°37′ N Latitude and 74^{o}29' to 74^{o}36' E Longitude and covers an altitudinal range of 3015 meters to 5466 meters above mean sea level. It comprises of forest compartment numbers from 56/S to 62/S of Sindh Forest Division. The main faunal attraction of this area is the Kashmir Musk deer (*Moschus cupreus)* and Himalayan brown bear (*Ursus arctos)*. The sanctuary is connected with other important wildlife areas, like Aru, Upper Dachigam and the Sind forest. The Wildlife Sanctuary is flanked by the large snow laden peaks of 'Sonamarg' and the Sindh River, which is famous for its trout and mahseer population. Thajwas glacier is one of the tourist attraction visited by tourists in the summer months.

AND WHEREAS, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary is located at a distance of 76 kilometres from South-East of Srinagar. Itlies between 33^{o}55'0"N to 34^{o}20'0" N Latitude and 75^{o}5'0" E to 75^{o}32'30" E Longitude and falls in the Anantnag District of the Kashmir Valley. The forests of Overa-Aru sanctuary are blessed with a number of lakes and glaciers, which happen to be invaluable sources of water, feeding numerous streams that flow down into the villages situated near the periphery.

AND WHEREAS, the Dachigam National Park comes under 2A province of bio-geographic classification as suggested by Rodgers et al., 2002. As per revised Champion and Seth (1968) the vegetation of Dachigam National Park is typically Himalayan moist temperate forest, sub-alpine forest and alpine forest type and can be classified into moist temperate deciduous forest, Parrotia (pohu) scrub forest, west Himalayan low level blue pine forest, western mixed coniferous forest, deciduous alpine scrub, west Himalayan sub-alpine birch-rhododendron forest, dwarf juniper scrub, dry temperate scrub.

AND WHEREAS, some of the notable flora and fauna of the Dachigam National Park include *Ulmus wallichiana*, *Salix alba*, Populus sp., *Prunus armeniaca, Quercus robur*, *Robina pseudoacacia*, *Parrotiopsis jacquemontiana, Rosa webbiana*, *Rubus niveus*, *Aesculus indica,Juglans regia*, *Pinus griffithi*, Angaarda (*Lychniscornaria* (L.)Desr)., Bajardantu(*Potentilla atrosanguinaLodd.),* Trumbadu (*Picrishieracioides),*Ghudkhura (*Tussilago farfara),* Dodad (*Codonopsis ovate),* Ratanjot (*Onosmahispidum wallichex),* Kashmir Red Deer (*Cervus hangluhanglu*.), Kashmir Musk Deer (*Moschus cupreus*), Common Leopard (*Panthera pardus*), Himalayan Brown Bear(*Ursus arctos isabellinus*), Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*), Kashmir Gray Langur (*Semnopithecus ajax*), Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayensis*), Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*), etc.

AND WHEREAS, the area of Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary is covered mostly under thick snow, round the year. The tree species such as *Abies pindrow, Betula ultilis, Juglans regia* and *Picea* sp. constitute the major assemblage of tree flora. *Indigofera hetranth, Berberies lycicum,* and *Rosa webbiana* constitute the major shrub cover of the area. The important faunal species of the area are Grey Langur (*Presbytis entellus)*, Rhesus Macaque (*Macaca mulatta)*, Common Leopard (*Panthera pardus)*, Snow Leopard *(Panther unica)*, Leopard Cat *(Felis bengalensis)*, Jackal *(Canis aureus)*, Red fox(*Vulpes vulpes)*, Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos)*, Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus)*, Yellow throated Martin (*Martis flavigula)*, Long-tailed Marmot (*Mannota bobak)*, Royle's Pika (*Ochotona roylei)*, Asiatic Ibex (*Capra sibrica)*, Kashmir Musk Deer *(Moschus cupreus)etc.*

AND WHEREAS, due to variation in altitude, aspect and soil, a diversity of vegetation is discernible in the Overa-Aru Wildlife Sanctuary. The vegetation of the Sanctuary is mainly Fir (*Abis pindrow*) with Kail (*Pinus griffithi*) in the lower elevations near Nallas. On varied physical variations the forest types found are Riverian Vegetation (1600-2300meters above mean sea level), Coniferous Forests:(2300-3000 meters above mean sea level), Alpine Scrubs and Pastures:(Beyond 3000-3500 meters above mean sea level), Rock Faces:(Beyond 3500meters above mean sea level). The Overa-Aru forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value. Some of the medical plants growing wild in the area include *Aconitum heterophyllum, Arnebia benthamii, Artemisia absinthium, Berberis lycium, Bergenia lingulata, Datura stramonium, Dioscore adeltoidea, Lavatera cashmeriana, Saussurea costus* and *Taxus wallichina*.

AND WHEREAS, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary falls in the north-west province (Province 2A) of the Himalayan Zone as per the bio-geographic demarcation by Rodgers and Panwar (1998). This province includes the whole Kashmir valley, characterized by temperate and sub-tropical climate Kashmiri stag or Hangul (*Cervus hanglu hanglu)*, Kashmir musk deer (*Moschus cupreus)*, Himalayan black bear (*Ursus thibetanus)*, Himalayan brown bear (*Ursus arctos)*, Common leopard (*Panthera pardus)*, Himalayan grey langur (*Presbytis ajax)*, Rhesus macaque (*Macaca mulata)*, red fox (*Vulpus vulpes)*, brown musk shrew (*Crocidura murina)*, yellow throated martin (*Martes flavigula)*, long-tailed Marmot (*Marmot himaliyana)*, Kashmir vampire (*Mergaderma spectrum)*, Leisler's hairy – armed bat (*Nyctalus lessleri)*, Kashmir House Rat (*Rattus rattus)*, Birch Mouse (*Sicista indica)*, Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus)*, serow (*Capricornis sumatraenis)*, Roule's pika (*Ochotona royelii)* Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*) etc.

AND WHEREAS, the natural boundaries of Dachigam National Park, Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary are connected at landscape level. The boundary of Dachigam National Park on North and North Eastern side merges with Overa-Aru Wildlife Sanctuary while as Overa–Aru Wildlife Sanctuary on its North and North-Eastern side merges with Thajwas Wildlife Sanctuary. The protected areas together form a landscape of rich biodiversity and hold good population of some of the important/endemic species of animals, birds and vegetation. The eco sensitive zone proposed makes these areas as one unit and will help gene flow across these areas to flourish the biodiversity.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 9.90kilometers around the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary, in the Union Territory of Jammu & Kashmir as Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 137.75 square kilometers with an extent 0 (zero) to 9.90 kilometers around the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary. *The zero extent of the Eco-Sensitive Zone is towards South and South-West side of Overa-Aru Wildlife Sanctuary as the Eco-Sensitive Zone boundary passes along the important tourist destination of Pahalgam and Nunwan Camp, the base camp of the famous annual pilgrimage Amarnath Yatra. Further, the Pahalgam area is under high demand for tourist infrastructural development and is notified under the Development Act as the local area for Pahalgam Development Authority. Also, the area has sizeable resident population and infrastructure.*

Extent of Eco-sensitive zone in different directions (kilometers) as given below:-

Direction	**Extent** (in kilometers)	**Location**
North	0.25	Sindh Nallah
Northeast	1	Baltal
East	1	Sheshnag
Southeast	1	Braripathar
South	0	Overa
Southwest	9.9	Wahabkhar
West	7.5	Karan Mahal
Northwest	1	Somamus
A	1	A) Bathyan
B	1.5	B) Nagandar
C	3.3	C) Zanatrag
D	4.95	D) Pakhirin

(2) The boundary description of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB**, **Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of village falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union Territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forests;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation & Flood Control;

(ix) Pollution Control Board;

(x) Municipal;

(xi) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government.-The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union Territory Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

14.	Felling of trees.	(a)There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union Territory Government. (b)The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Migratory Graziers.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
		C. Promoted Activities
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
1.	Divisional Commissioner, Kashmir	Chairman;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir	Member;
3.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of environment conservation to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir	Member;
4.	One representative of Jammu and Kashmir Biodiversity Council	Member;
5.	Deputy Commissioner, Srinagar	Member;
6.	Deputy Commissioner, Ganderbal	Member;
7.	Deputy Commissioner, Anantnag	Member;
8.	Deputy Commissioner, Pulwama	Member;
9.	Muncipal Commissioner, Srinagar	Member;
10.	Director Tourism, Kashmir	Member;
11.	Vice-chairman, Srinagar Development Authority	Member;
12.	Regional Director, J&K State Pollution Control Board, Srinagar	Member;
13.	Senior Town Planner, Kashmir	Member;
14.	Divisional Forest Officer, Sindh Forest Division	Member;
15.	Divisional Forest Officer, Lidder Forest Division	Member;
16.	Divisional Forest Officer, Awantipura	Member;
17.	Divisional Forest Officer, Urban Forestry Srinagar	Member;
18.	Chief Executive Officer, Sonmarg Development Authority	Member;
19.	Chief Executive Officer, Pahalgam Development Authority	Member;
20.	Wildlife Warden, Central Division	Member;
21.	Wildlife Warden ,South Division	Member;
22.	Regional Wildlife Warden, Kashmir	Member Secretary

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union Territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per performa appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.-The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR

S.No.	Points marked on map	Longitude	Latitude	Distance from PA boundary (meters)	Description	Justification
1	A50	75° 16' 8.283" E	34° 18' 39.590" N	50	Sindh river	
2	A51	75° 16' 46.896" E	34° 18' 21.339" N	1000	Thajwas open revenue land	
3	A52	75° 19' 19.800" E	34° 17' 44.505" N	50	Ichamarg	
4	A53	75° 21' 38.536" E	34° 16' 19.145" N	50	Serbal village, River Sindh	
5	A54	75° 25' 2.957" E	34° 14' 1.062" N	50	Domel forest, River sindh	
6	A57	75° 32' 56.026" E	34° 8' 59.234" N	50	Nichhang, Alpine Pasture	
7	A58	75° 33' 4.452" E	34° 6' 46.073" N	1000	Alpine pasture	

8	A59	75° 31' 58.324" E	34° 5' 25.254" N	1000	Guidi gali, Alpine pasture	
9	A60	75° 30' 2.620" E	34° 6' 57.756" N	1000	Wahabal top, Alpine pasture	
10	A62	75° 27' 0.738" E	34° 8' 45.686" N	1000	Chhut pass, Alpine pasture	
11	A65	75° 23' 51.681" E	34° 7' 20.121" N	1000	Razdan nar, alpine pasture	
12	A47	75° 14' 57.887" E	34° 15' 28.761" N	1000	Ganj forests, Sindh divn	
13	A49	75° 15' 27.980" E	34° 17' 43.399" N	50	Sindh river	
14	A48	75° 14' 0.162" E	34° 16' 52.517" N	1000	CO 53/S, Alpine Pasture	
15	A46	75° 15' 0.579" E	34° 15' 15.824" N	1000	CO 53/S, Alpine Pasture	
16	A45	75° 13' 44.791" E	34° 14' 36.938" N	1000	CO 53/S, Alpine Pasture	
17	A44	75° 12' 42.317" E	34° 14' 17.449" N	1000	CO 53/S, Alpine Pasture	
18	A43	75° 11' 39.926" E	34° 13' 34.687" N	1000	CO 49/S, Alpine Pasture	
19	A42	75° 10' 45.063" E	34° 12' 35.890" N	1000	CO 45/S, Alpine Pasture	
20	A41	75° 9' 52.727" E	34° 12' 45.375" N	1000	CO 44/S, Alpine Pasture	
21	A40	75° 8' 33.037" E	34° 12' 30.866" N	1000	CO 41/S, Alpine Pasture	
22	A39	75° 7' 28.585" E	34° 12' 16.430" N	1000	CO 39/S, Alpine Pasture	
23	A38	75° 7' 36.922" E	34° 10' 53.455" N	1000	CO 34/MBL, Alpine Pasture	
24	A37	75° 5' 29.651" E	34° 9' 43.646" N	1000	Hoka Sar, Alpine Pasture	
25	A36	75° 3' 12.504" E	34° 11' 25.097" N	1000	Sura Pharao Forest, Sindh	
26	A35	75° 0' 34.233" E	34° 11' 28.442" N	1000	Lidwas, Alpine Pasture	
27	A34	74° 59' 38.049" E	34° 10' 18.195" N	1000	Lidwas, Alpine Pasture	
28	A79	75° 3' 18.035" E	34° 4' 56.242" N	500	Andarhajan Nar, Forest area, Hajannar	
29	A78	75° 5' 52.795" E	34° 4' 16.200" N	1000	CO 22/Tral Forest area, Pambach khod	
30	A77	75° 11' 46.294" E	34° 3' 30.857" N	1000	CO 13/Tral Forest area	
31	A76	75° 13' 5.262" E	34° 1' 34.853" N	1000	CO 24/Forest area	
32	A75	75° 12' 37.170" E	33° 58' 49.146" N	1000	CO 3 Forest area, Watwagar	
33	A74	75° 14' 14.892" E	33° 55' 58.452" N	1000	CO 51/L Forest area	
34	A73	75° 15' 30.813" E	33° 55' 55.489" N	0	CO 50/L, Owur village	Demarcation line separate Settle Village of Owura
35	A72	75° 17' 10.532" E	33° 56' 32.440" N	0	CO 45/L, Development of tourist hub	Already developed as tourist place and is

						covered with fencing
36	A71	75° 17' 31.151" E	33° 57' 35.646" N	0	Khelan Forest	Demarcation line separate Settle Village is covered with fencing
37	A70	75° 19' 0.106" E	33° 59' 24.096" N	0	Mamal Forest, Development of Pahalgam	Already developed as tourist place and is covered with fencing
38	A69	75° 18' 51.004" E	34° 0' 32.169" N	0	Mamal village	Demarcation line separate Settle Village of Mamal
39	A68	75° 18' 0.230" E	34° 2' 26.202" N	0	Wachran, Lidder Nala	Lidder Nala separate the valley
40	A67	75° 19' 52.326" E	34° 4' 47.318" N	1000	CO 19/L, Forest area, Sangam	
41	A66	75° 22' 12.778" E	34° 6' 27.186" N	1000	CO 16, Alpine Pasture, sarnar	
42	A64	75° 24' 34.558" E	34° 7' 48.950" N	1000	CO 12/L, Alpine Pasture	
43	A63	75° 25' 2.139" E	34° 8' 42.470" N	1000	Rabemarg, Alpine Pasture	
44	A61	75° 27' 55.499" E	34° 7' 26.880" N	1000	Astanmarg, Alpine Pasture	
45	A55	75° 28' 5.746" E	34° 12' 32.350" N	50	Naginpathar	
46	A 56	75° 30' 4.375" E	34° 11' 18.399" N	50	Panjtarni, Way towards Amarnath Cave	
47	A33	74° 56' 42.915" E	34° 10' 57.894" N	1000	Dara Nala, Darawan, Forests	
48	A32	74° 56' 3.905" E	34° 11' 20.590" N	1000	TulapatharNala, Open Forest	
49	A31	74° 55' 24.996" E	34° 10' 43.726" N	200	Chak-i-Dara village	
50	A30	74° 54' 28.109" E	34° 10' 30.176" N	200	Murinderbagh Village, Water body	
51	A29/1	74° 55' 16.730" E	34° 10' 15.073" N	200	Agriculture Land, Nu Thid Village	
52	A29	74° 55' 47.637" E	34° 9' 21.851" N	200	Mahadeo Nar,Agriculture Land	
53	A28	74° 55' 11.105" E	34° 9' 20.101" N	200	MavasKol	
54	A27	74° 54' 20.173" E	34° 9' 38.496" N	200	PWD Water Tank &Reservoir	
55	A55	74° 53' 19.039" E	34° 7' 50.947" N	500	Barobal, Rocky area	
56	A56	74° 54' 37.277" E	34° 5' 49.986" N	500	Sumer Nar, Rocky	
57	A57	74° 51' 20.334" E	34° 4' 33.714" N	500	Gopbal Nar, Mixed Forests, Saint Baba	

					Gulamdinsah	
58	A58	74° 56' 6.516" E	34° 4' 26.605" N	500	open scrub	
59	A59	74° 58' 57.542" E	34° 5' 8.609" N	1000	Sangri, Mixed Forest	
60	A60	74° 59' 4.141" E	34° 5' 44.018" N	500	Pahal Chak, Forest Area, dun N	
61	A61	74° 58' 55.146" E	34° 2' 45.453" N	500	Bathyan, Forest area	
62	A62	75° 1' 25.038" E	34° 4' 34.850" N	500	sardalaunar, forest area	
63	A63	75° 3' 28.841" E	33° 59' 36.914" N	1000	CO 24/Tral Forest area, Sarai Bun	

ANNEXURE -II A

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

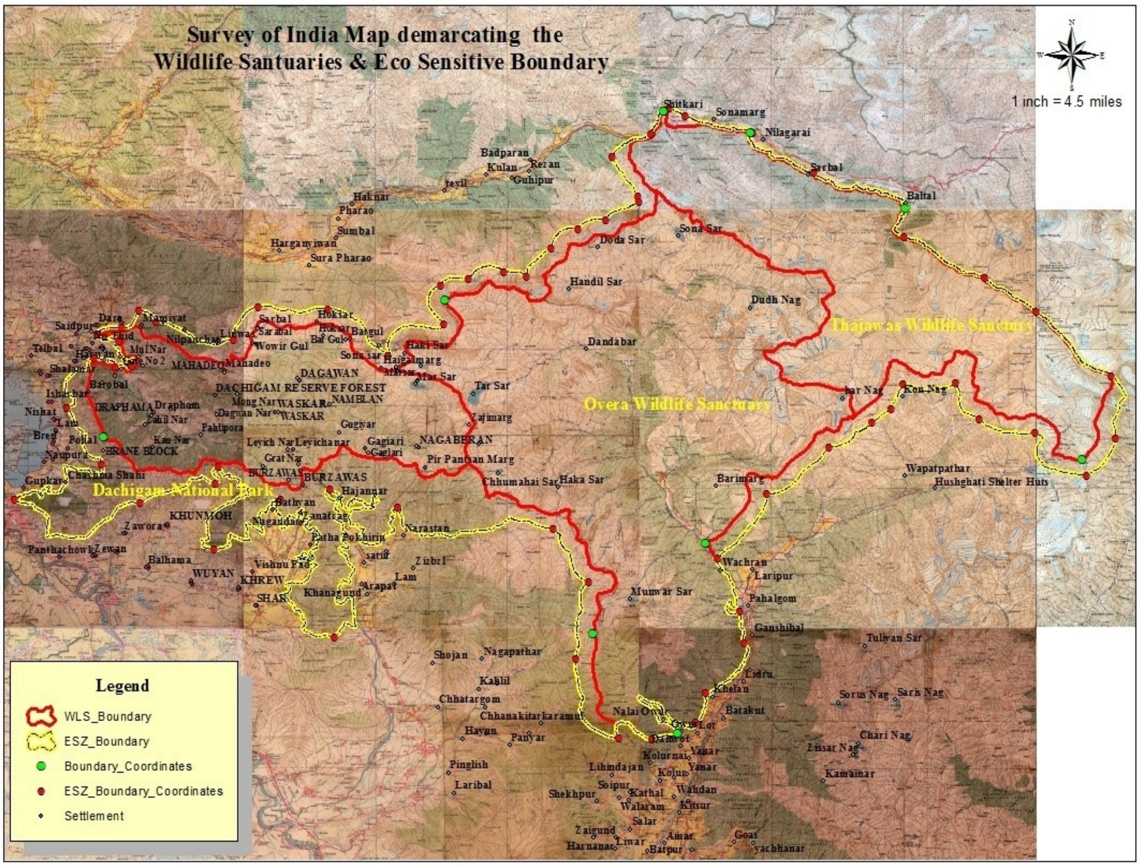

ANNEXURE -II B

SATELLITE MAP SHOWING BOUNDARIES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION

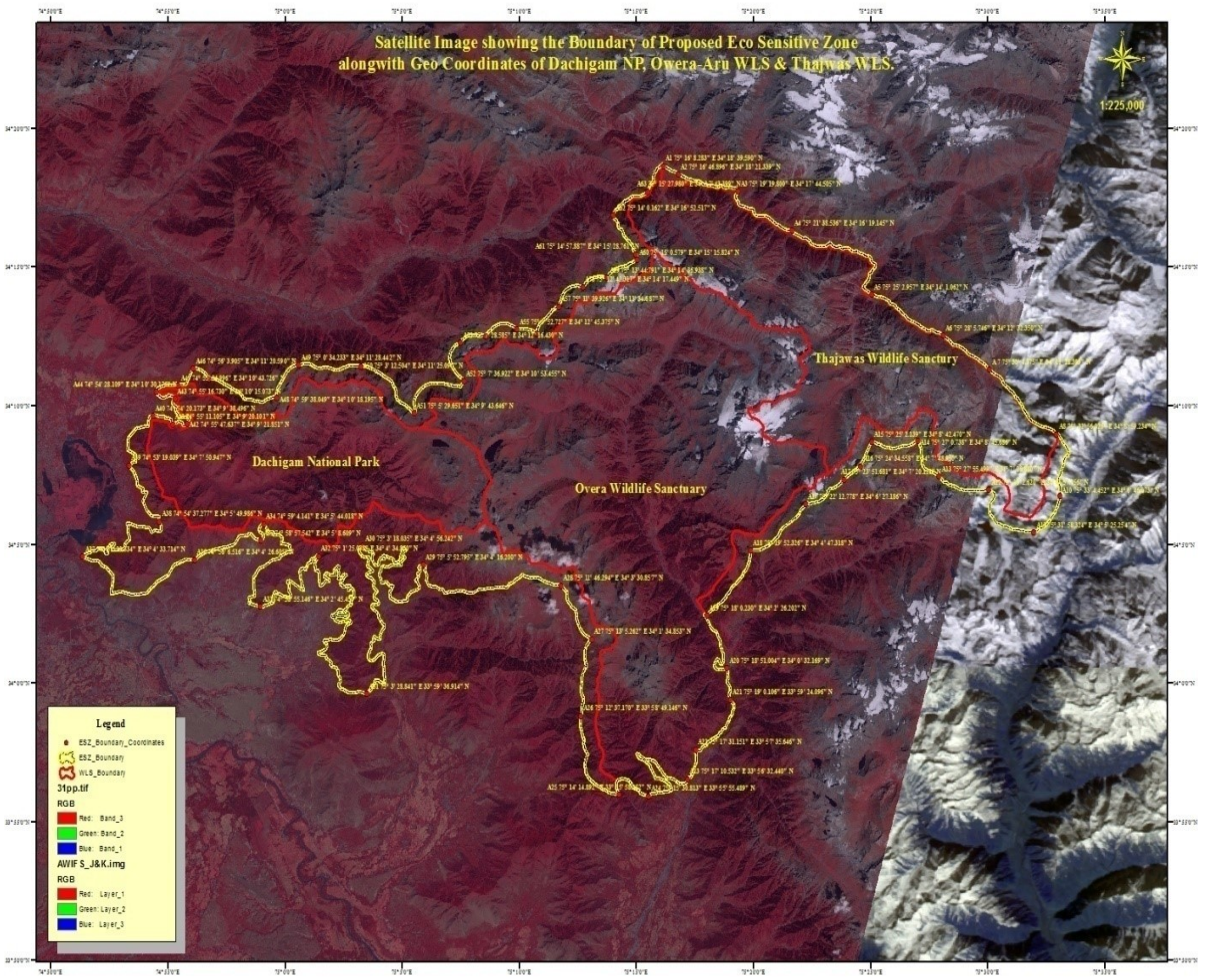

ANNEXURE -II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION

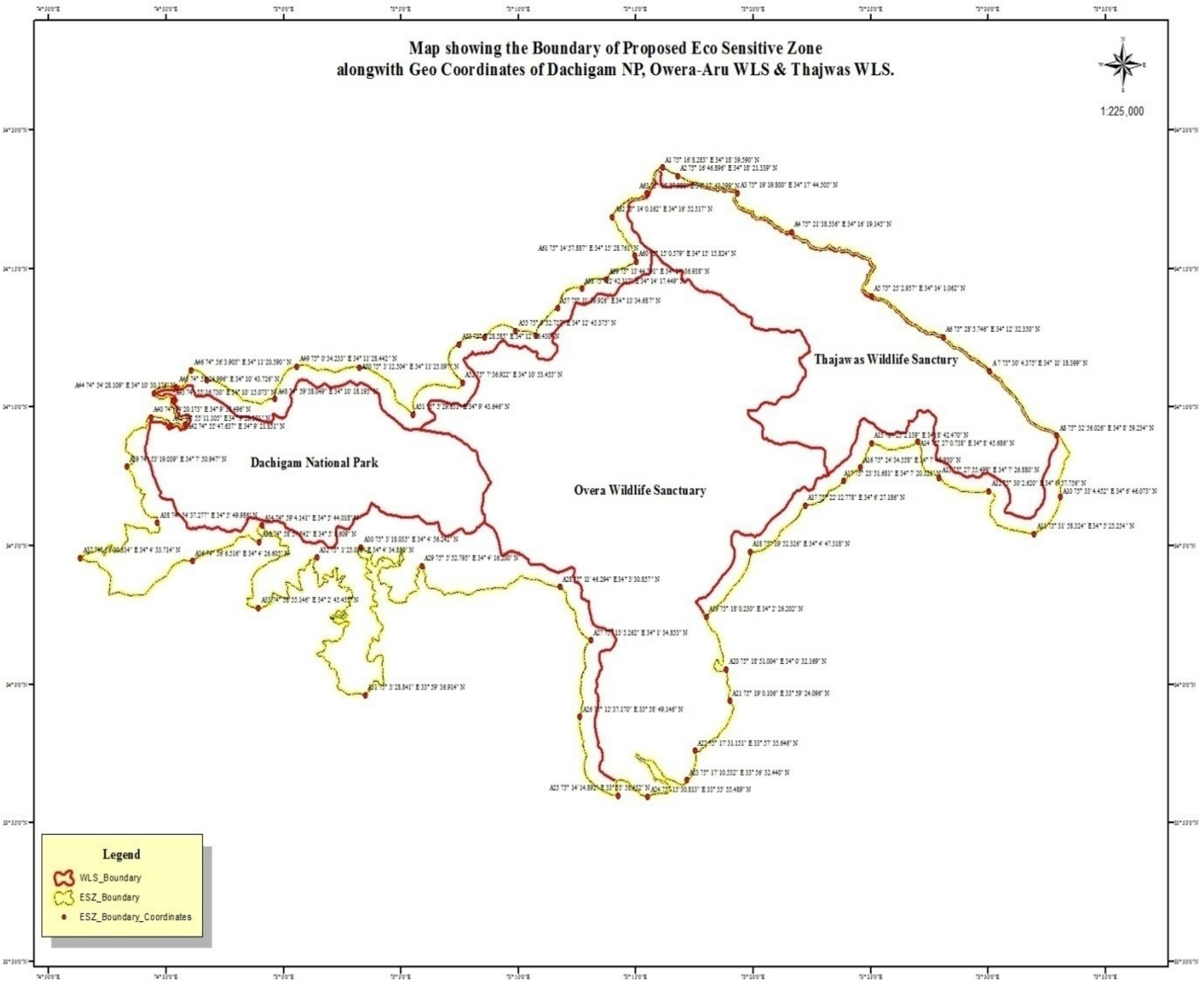

ANNEXURE -II D

LAND USE LAND COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY

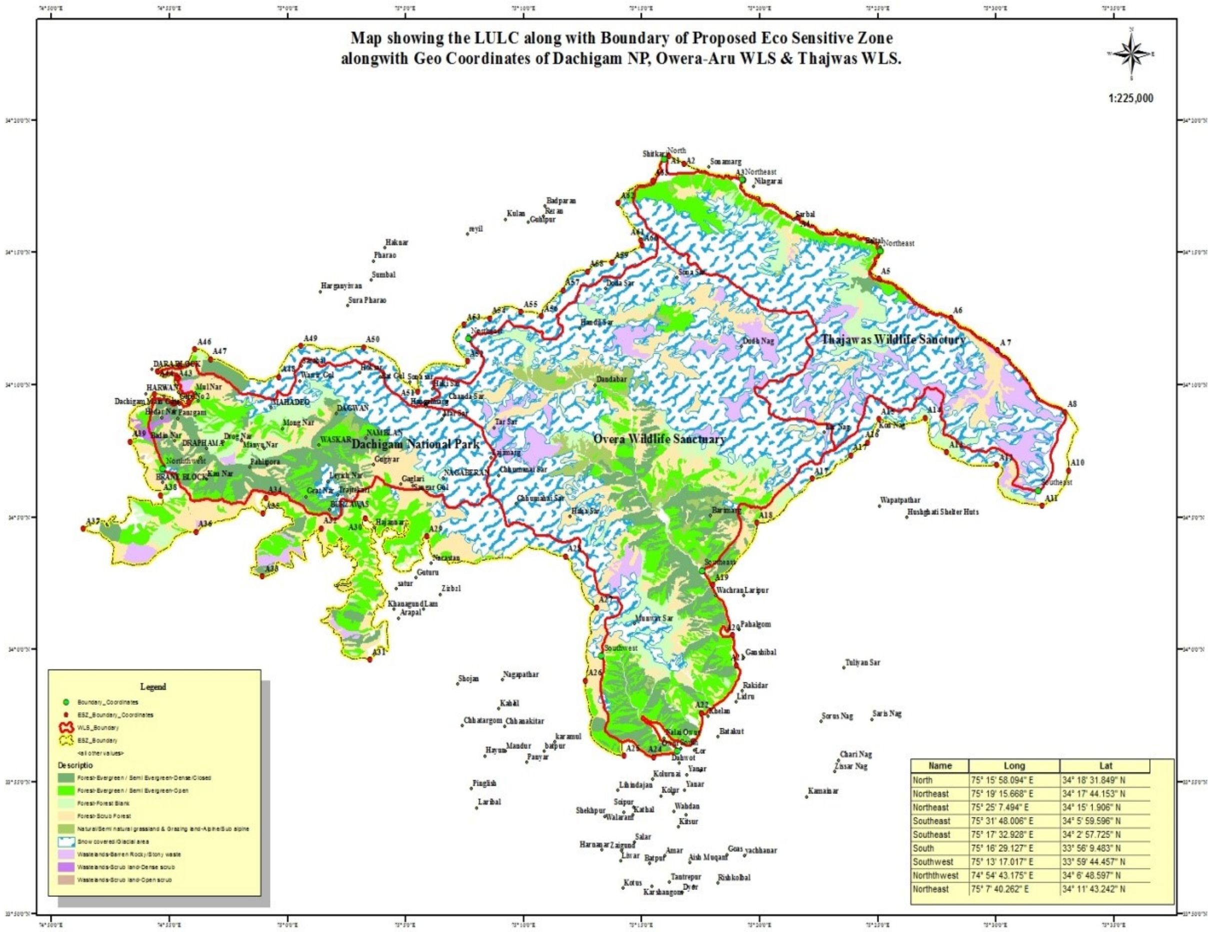

ANNEXURE -III

A. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATE OF THE PROTECTED AREA OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Name	Longitude	Latitude
1	North	75° 15' 58.094" E	34° 18' 31.849" N
2	North-East	75° 19' 15.668" E	34° 17' 44.153" N
3	North-East	75° 25' 7.494" E	34° 15' 1.906" N
4	South-East	75° 31' 48.006" E	34° 5' 59.596" N
5	South-East	75° 17' 32.928" E	34° 2' 57.725" N
6	South	75° 16' 29.127" E	33° 56' 9.483" N
7	South-West	75° 13' 17.017" E	33° 59' 44.457" N
8	North-West	74° 54' 43.175" E	34° 6' 48.597" N
9	North-East	75° 7' 40.262" E	34° 11' 43.242" N

B. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE ESZ BOUNDARIES OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Longitude	Latitude	Distance from PA(meters)	Description
1	75° 16' 8.283" E	34° 18' 39.590" N	50	Sindh River
2	75° 16' 46.896" E	34° 18' 21.339" N	1000	Thajwas Open Revenue Land
3	75° 19' 19.800" E	34° 17' 44.505" N	50	Ichamarg
4	75° 21' 38.536" E	34° 16' 19.145" N	50	Serbal Village, River Sindh
5	75° 25' 2.957" E	34° 14' 1.062" N	50	Domel Forest, River Sindh
6	75° 32' 56.026" E	34° 8' 59.234" N	50	Nichhang, Alpine Pasture
7	75° 33' 4.452" E	34° 6' 46.073" N	1000	Alpine Pasture
8	75° 31' 58.324" E	34° 5' 25.254" N	1000	Guidi Gali, Alpine Pasture
9	75° 30' 2.620" E	34° 6' 57.756" N	1000	Wahabal Top, Alpine Pasture
10	75° 27' 0.738" E	34° 8' 45.686" N	1000	Chhut Pass, Alpine Pasture
11	75° 23' 51.681" E	34° 7' 20.121" N	1000	Razdan Nar, Alpine Pasture
12	75° 14' 57.887" E	34° 15' 28.761" N	1000	Ganj Forests, Sindh Divn
13	75° 15' 27.980" E	34° 17' 43.399" N	50	Sindh River
14	75° 14' 0.162" E	34° 16' 52.517" N	1000	Co 53/S, Alpine Pasture
15	75° 15' 0.579" E	34° 15' 15.824" N	1000	Co 53/S, Alpine Pasture
16	75° 13' 44.791" E	34° 14' 36.938" N	1000	Co 53/S, Alpine Pasture
17	75° 12' 42.317" E	34° 14' 17.449" N	1000	Co 53/S, Alpine Pasture
18	75° 11' 39.926" E	34° 13' 34.687" N	1000	Co 49/S, Alpine Pasture
19	75° 10' 45.063" E	34° 12' 35.890" N	1000	Co 45/S, Alpine Pasture
20	75° 9' 52.727" E	34° 12' 45.375" N	1000	Co 44/S, Alpine Pasture
21	75° 8' 33.037" E	34° 12' 30.866" N	1000	Co 41/S, Alpine Pasture
22	75° 7' 28.585" E	34° 12' 16.430" N	1000	Co 39/S, Alpine Pasture
23	75° 7' 36.922" E	34° 10' 53.455" N	1000	Co 34/Mbl, Alpine Pasture
24	75° 5' 29.651" E	34° 9' 43.646" N	1000	Hoka Sar, Alpine Pasture
25	75° 3' 12.504" E	34° 11' 25.097" N	1000	Surapharao Forest, Sindh
26	75° 0' 34.233" E	34° 11' 28.442" N	1000	Lidwas, Alpine Pasture
27	74° 59' 38.049" E	34° 10' 18.195" N	1000	Lidwas, Alpine Pasture
28	75° 3' 18.035" E	34° 4' 56.242" N	500	Andarhajan Nar, Forest Area, Hajannar
29	75° 5' 52.795" E	34° 4' 16.200" N	1000	Co 22/Tral Forest Area, Pambach Khod
30	75° 11' 46.294" E	34° 3' 30.857" N	1000	Co 13/Tral Forest Area
31	75° 13' 5.262" E	34° 1' 34.853" N	1000	Co 24/Forest Area
32	75° 12' 37.170" E	33° 58' 49.146" N	1000	Co 3 Forest Area, Watwagar
33	75° 14' 14.892" E	33° 55' 58.452" N	1000	Co 51/L Forest Area
34	75° 15' 30.813" E	33° 55' 55.489" N	0	Co 50/L, Owur Village
35	75° 17' 10.532" E	33° 56' 32.440" N	0	Co 45/L, Development of Tourist Hub
36	75° 17' 31.151" E	33° 57' 35.646" N	0	Khelan Forest
37	75° 19' 0.106" E	33° 59' 24.096" N	0	Mamal Forest, Development of

				Pahalgam
38	75° 18' 51.004" E	34° 0' 32.169" N	0	Mamal Village
39	75° 18' 0.230" E	34° 2' 26.202" N	0	Wachran, LidderNala
40	75° 19' 52.326" E	34° 4' 47.318" N	1000	Co 19/L, Forest Area, Sangam
41	75° 22' 12.778" E	34° 6' 27.186" N	1000	Co 16, Alpine Pasture, Sarnar
42	75° 24' 34.558" E	34° 7' 48.950" N	1000	Co 12/L, Alpine Pasture
43	75° 25' 2.139" E	34° 8' 42.470" N	1000	Rabemarg, Alpine Pasture
44	75° 27' 55.499" E	34° 7' 26.880" N	1000	Astanmarg, Alpine Pasture
45	75° 28' 5.746" E	34° 12' 32.350" N	50	Naginpathar
46	75° 30' 4.375" E	34° 11' 18.399" N	50	Panjtarni, Way Towards Amarnath Cave
47	74° 56' 42.915" E	34° 10' 57.894" N	1000	Dara Nala, Darawan, Forests
48	74° 56' 3.905" E	34° 11' 20.590" N	1000	TulapatharNala, Open Forest
49	74° 55' 24.996" E	34° 10' 43.726" N	200	Chak-I-Dara Village
50	74° 54' 28.109" E	34° 10' 30.176" N	200	Murinderbagh Village, Water Body
51	74° 55' 16.730" E	34° 10' 15.073" N	200	Agriculture Land, Nu Thid Village
52	74° 55' 47.637" E	34° 9' 21.851" N	200	Mahadeo Nar, Agriculture Land
53	74° 55' 11.105" E	34° 9' 20.101" N	200	Mavaskol
54	74° 54' 20.173" E	34° 9' 38.496" N	200	Pwd Water Tank &Reservoir
55	74° 53' 19.039" E	34° 7' 50.947" N	500	Barobal, Rocky Area
56	74° 54' 37.277" E	34° 5' 49.986" N	500	Sumer Nar, Rocky
57	74° 51' 20.334" E	34° 4' 33.714" N	500	Gopbal Nar, Mixed Forests, Saint Baba Gulamdinsah
58	74° 56' 6.516" E	34° 4' 26.605" N	500	Open Scrub
59	74° 58' 57.542" E	34° 5' 8.609" N	1000	Sangri, Mixed Forest
60	74° 59' 4.141" E	34° 5' 44.018" N	500	Pahal Chak, Forest Area, Dun N
61	74° 58' 55.146" E	34° 2' 45.453" N	500	Bathyan, Forest Area
62	75° 1' 25.038" E	34° 4' 34.850" N	500	Sardalaunar, Forest Area
63	75° 3' 28.841" E	33° 59' 36.914" N	1000	Co 24/Tral Forest Area, Sarai Bun

ANNEXURE -IV

LIST OF VILLAGE FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

The following villages / townships fall within the proposed ESZ of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary:

List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates (Dachigam National Park)

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North	Nil	-	-
North-West	Mamnath	34° 10' 46.41" N	74° 56' 10.36" E
	Dara	34° 10' 58.48" N	74° 54' 27.36" E
	FaqirGujjari	34° 11' 54.55" N	74° 54' 53.87" E
	Mulnar	34° 9' 45.42" N	74° 54' 2.18" E
West	Harwan	34° 9' 31.7" N	74° 53' 41.81" E
	Ishbar	34° 8' 4.38" N	74° 52' 47.33" E
	Pohal	34° 6' 24.67" N	74° 53' 23.31" E
	Lam	34° 7' 0.65" N	74° 53' 1.38" E
South	Sangri	34° 5' 52.46" N	74° 58' 49.51" E
	Check	34° 5' 0.38" N	75° 0' 12.08" E
	Bathin	34° 4' 13.27" N	74° 01' 5.79" E
	Naginder	34° 04' 11.972" N	75° 02' 16.717" E
	Zanatrag	34° 03' 54.355" N	75° 02' 35.909" E
South-East	Aripal	34° 0' 59.80" N	74° 04' 22.20" E
	Hajinar	34° 04' 37.87" N	75° 03' 43.49" E
	Naristan	34° 4' 21.13" N	74° 0' 22.28" E
East	Nil	-	-

List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates
(Overa-Aru Wildlife Sanctuary)

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North	Nil	-	-
North-West	Nil	-	-
West	Nil	-	-
South	Overa	33° 56' 9.483" N	75° 16' 29.127" E
	Darwon	34° 18' 15.91" N	75° 13' 01.67" E
South-East	Nil	-	-
East	Nil	-	-

List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates
(Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary)

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North	Nil	-	-
North -West	Sarbal	N 34^0 10’59.14’’	E 75^0 00’42.77’’
	Sonamarg	N 34^0 18’15.91’’	E 75^0 17’59.45’’
West	Shutkari	N 34^0 18’31.85’’	E 75^0 15’39.61’’
South	Nil	-	-
South-East	Nil	-	-
East	Nil	-	-

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.06.10 21:06:35 +05'30'